संख्या :15/2021/2252/41-2020-79(बजट)/2017

प्रेषक,

शिव पाल सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन, उ0प्र0
लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग **लखनऊ, दिनांक जनवरी 2021**

विषय:-जनपद लखनऊ के ऐशबाग में स्थित रामलीला मैदान में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं हेतु बहुउद्देशीय हॉल के अतिरिक्त भाग के निर्माण कार्य हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1783/6-1-1(874)/2017, दिनांक 17 अगस्त 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. जनपद लखनऊ के ऐशबाग में स्थित रामलीला मैदान में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं हेतु बहुउद्देशीय हॉल के निर्माण हेतु शासनादेश सं0-06/2018/23/41-2018-79(बजट)/2017 दिनांक 25-1-2018 द्वारा चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम लि0 द्वारा गठित किये गये आगणन के क्रम में रू0- 120.78 लाख की प्रशासकीय एवं रू0-60.39 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत् की गई थी। तदनन्तर शासनादेश संख्या-194/2018/3382/41-2018-79(बजट)/2017 दिनांक 28 दिसम्बर 2018 द्वारा विभागीय अप्रेजल समिति द्वारा आंकलित लागत के क्रम में प्रायोजना की संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति रू0 117.42 लाख (एक करोड सत्तरह लाख बयालीस हजार मात्र) जारी की गई और शासनादेश संख्या-111/2020/698/41-2020-79(बजट)/2017 दिनांक 24 मार्च2020 द्वारा प्रायोजना की अवशेष धनराशि रू0-57.03 लाख अवमुक्त की गई । तदनन्तर मा0 उप मुख्यमंत्री जी द्वारा स्थलीय निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन बहुउद्देशीय हॉल का क्षेत्रफल बढाये जाने के निर्देश दिये जाने के क्रम में **अतिरिक्त भाग के निर्माण कार्य हेतु कार्यदायी संस्था उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0 से अनुपूरक आगणन रू0-14.67 लाख गठित कराकर स्वीकृति हेतु उपलब्ध कराया गया है।**

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद लखनऊ के ऐशबाग में स्थित रामलीला मैदान में आने वाले पर्यटकों/श्रद्धालुओं हेतु बहुउद्देशीय हॉल के अतिरिक्त भाग के निर्माण कार्य हेतु चयनित कार्यदायी संस्था उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0 द्वारा गठित किये गये आगणन रू0-14.67 लाख के सापेक्ष विभागीय अप्रेजल समिति द्वारा मूल्यांकित लागत के अनुसार रू0 13.27 लाख (रूपये तेरह लाख सडसठ हजार मात्र) + जी0एस0टी0 (वास्तविक देयता के आधार पर अनुमन्य) की प्रशासकीय एवं प्रथम किश्त के रूप में रू0 6.64 लाख (रूपये छह लाख चौंसठ

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) प्रायोजनान्तर्गत् प्रोपराइटरी श्रेणी के कार्यों के संदर्भ में निर्माण के समय क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु दूसरी किश्त निर्गत की जायेगी।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-4/2020/बी-1-192/दस-2020-231/2020, दिनांक 07 अप्रैल, 2020 एवं शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(6) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र सक्षम स्तर से महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(7) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.in

सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 80 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(9) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(10) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(11) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(12) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) प्रायोजना की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) प्रायोजनान्तर्गत प्राविधानित प्रविष्टियों एवं कार्य प्राविधानों को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है, जिसमें कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे- नये कार्य बढाये जाना एवं अन्य उच्च विशिष्टियों को इस्तेमाल इत्यादि बिना शासन के पूर्वानुमोदन के नहीं किया जायेगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

3- उक्त प्रस्तर-2 में स्वीकृत की जा रही धनराशि पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वितीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान सं0-44 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष 5452-पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय-80- सामान्य-104-संवर्धन तथा प्रचार-08-मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास-24-वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-7-17/दस-2021 दिनांक 08 जनवरी 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(शिव पाल सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या- 15/2021/2252/41-2020-79(बजट)/2017 तद्दिनॉक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
6- संयुक्त निदेशक, पर्यटन निदेशालय, लखनऊ।
7- क्षेत्रीय पर्यटक अधिकारी, लखनऊ।
8- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
9- अधिशासी अभियन्ता उ0प्र0 स्टेट कान्स्ट्रक्शन डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन लि0, इकाई-प्रथम लखनऊ।
10- वेब अधिकारी, पर्यटन विभाग।
11- गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(गिरिजापति द्विवेदी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.in